न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 73 / 2017

RCMS Case No. 2017/00320

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
महावीरचन्द पुत्र सुगालचन्द जैन निवासी गुडा बींजा हाल लक्ष्मी ज्वैलर्स, पता नं. 201, गांधी रोड़, आरकोनम, जिला वैलूर (तमिलनाडू)		1. ढगलचन्द पुत्र सुगालचन्द जैन निवासी गुडा बींजा हाल एस. ढगलचन्द जैन नं. 88, गांधी रोड़, आरकोनम, जिला वैलूर (तमिलनाडू) 2. ग्राम पंचायत गुडा बींजा तहसील सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री दुर्गाराम बामणिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–29.1.2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, गुडा बींजा द्वारा मिसल संख्या 04 / 1961–1962 संकल्प संख्या ... दिनांक 06.01.1962 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46–47 दिनांक 06.01.1962 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडा बींजा तहसील सोजत में प्रार्थी एव अप्रार्थी संख्यां 1 के पिता सुगालचन्द का पुश्तैनी कब्जासुदा मकान आया हुआ स्थित है। जो मौके पर दो भागों में विभक्त है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से एक बिना हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत होने पर ग्राम पंचायत द्वारा उस पर मिसल कायम कर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई, जबकि ग्राम पंचायत का यह दायित्व था कि वे आवेदन पत्र की सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात विधिवत कार्यवाही करने के आदेश पारित करती, किन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया जाकर आवेदन पत्र की किसी भी रूप में जांच नहीं की तथा मिसल में कार्यवाही आरम्भ की दी। अप्रार्थी द्वारा 1 द्वारा विधि अनुसार आवेदन पत्र ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत नही किया तथा न ही वांछित भूमि का नक्शा तैयार किया तथा न ही किसी प्रकार की राशि जमा करवाई। इस प्रकार आज्ञापक प्रावधानों का पूर्णतः दुरूपयोग किया गया। इसके पश्चात दिनांक 15.10.1961 को मिसल की आदेशिका दर्ज की गई एवं नक्शा तैयार होना एवं पंचों की रिपोर्ट तलब करने के आदेश पारित किए। यह

अति. जिला कलक्टर, पाली

आज्ञापक प्रावधान है कि सरपंच अकेला ग्राम पंचायत की कार्यवाही से सम्बन्धित आदेश पारित नहीं कर सकता है। दिनांक 15.10.1961 को ग्राम पंचायत के कोरम की बैठक ही नहीं हुई, उसके बावजूद भी सरपंच द्वारा पंचो को मौका निरीक्षण के आदेश पारित किऐ, जो विधि विरूद्ध है। इसके अतिरिक्त एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने का आदेश भी बैठक कार्यवाही विवरण में अंकित नहीं है। न तो अस्थाई निर्णय लिया गया तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे की ताईद में गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाये गये। सम्पूर्ण प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता सुगालचन्द द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 07.07.2001 को आपसी बंटवाडा किया गया, जिसमें उक्त मकान का आधा हिस्सा प्रार्थी को एवं आधा हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 को दिया गया तथा अपने अपने हिस्से अनुसार मकान का पट्टा बनाने हेतु स्वतन्त्र रखा। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक सिद्धान्त आर0आर0टी0 2016 (2) पेज 1354, डब्ल्यु0एल0एन0 2015 (2) पेज 353, डी0एन0जे0 (राज.) 1998 पेज 560, डब्ल्यु0एल0एन0 2013 (3) पेज 203, आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265, डब्ल्यु0एल0एन0 2013 (2) पेज 273, डी0एन0जे0 2012 (राज.) पेज 506 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है। जिसके कारण नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका पर जाकर मोके का नक्शा तैयार किया गया है तथा इसके पश्चात वार्ड पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का रहवास है, इसके सबूत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किए है। जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। प्रकरण में किसी प्रकार का वादकरण उत्पन्न ही नहीं हुआ। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1, दोनों ही अपने अपने हिस्से में निवास करते है। प्रार्थी ने पट्टा जारी होने के 56 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है, जो पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। प्रार्थी ने मात्र अप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावें। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में मोहनकंवर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02.01.2018, आर0एल0डब्ल्यु0 2002 पेज 199, आर0एल0डब्ल्यु0 2010 पेज 968, आर0एल0डब्ल्यु0 2017 पेज 1235 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों का सहारा लिया।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी पंचायत, गुडा बींजा द्वारा मिसल संख्या 04/1961–1962 संकल्प संख्या ... दिनांक 06.01.1962 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46–47 दिनांक 06.01.1962 के विरूद्ध पेश की गई है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष दिनांक 15.10. 21961 को ढगलचन्द सुगालचन्द के नाम से आवेदन पत्र, जिस पर आवेदन के हस्ताक्षर नहीं है, के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा मिसल कायम करते हुए दिनांक 22.10.1961 को नियमानुसार कार्यवाही हेतु पेश होने के आदेश पारित किए। दिनांक 22.10.1961 को मिसल पेश होने पर यह अंकित किया कि नक्शा बन चुका है। अतः पंचों द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे तथा एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया जावे। इस आदेश की पालना में कोई आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, हो ऐसा पत्रावली पर रेकर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके पश्चात दिनांक 26.11.1961 को आदेशिका में यह अंकित किया कि पंचो द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई व एक माह की अवधि समाप्त हो चुकी है तथा कोई उज्र पेश नही होने के कारण दो नये पैसे प्रति वर्ग गज की दर से राशि जमा होने पर मिसल प्रस्तुत होने के आदेश पारित किये। इसके पश्चात दिनांक 06.01.1962 को राशि जमा होने पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया।

राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में आबादी भूमि की बिक्री के प्रावधान वर्णित है। जिसके तहत नियम 256 (1) के तहत इच्छुक व्यक्ति द्वारा क्रय हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा एवं (2) के तहत आवेदन पत्र के साथ खरीदी जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार करने हेतु दो रूपये की राशि पंचायत में जमा करायेगा। नियम 256 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियम 257 के तहत नक्शा तैयार किया जाना। इसके पश्चात नियम 258 के तहत पंचायत संकल्प द्वारा अपने पंचों में से किन्ही तीन पंचों को वांछित स्थल के निरीक्षण हेतु मनोनीत करती है, जो पंच अपनी रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करते है। पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियम 259 के तहत पंचायत बैठक में प्रस्तावित भूमि के विक्रय के सम्बन्ध में पंचायत अस्थाई रूप से निर्णय पारित करेगी। इसके पश्चात नियम 260 के तहत प्रपत्र 50 में एक माह का आपत्ति आमन्त्रित करेगी। इसके पश्चात नियम 261 के तहत आपत्तियों का निस्तारण किये जाने तथा नियम 262 के तहत भूमि के नीलामी के प्रावधान है। इसके पश्चात नियम 263 के तहत भुगतान तथा भुगतान न करने पर पुनर्विक्रय के प्रावधान वर्णित है। नियम 264 में नीलामी की प्रक्रिया तथा नियम 265 में नीलाम की पुष्टि प्रावधित है। नियम 266 के तहत निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि का हस्तान्तरण के प्रावधान है। नियम 267 में भूमियों का निःशुल्क आवंटन तथा नियम 267 (क) के तहत विस्थापितों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भूमि के आवंटन के नियम प्रावधित है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्व–प्रेरणा से या किसी भी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहीयों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख, उनमें पारित किसी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहीयों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और

अति० जिला कलेक्टर, पाली

उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए, तो वह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण में राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम 1961 के नियम 255 से नियम 261 में विहित प्रक्रिया की पालना नही की गई है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को किसी भी रूप में न्यायोचित नही माना जा सकता है। स्वयं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त भूमि को पुश्तैनी माना है तथा अपासी बंटवाडा लिखत दिनांक 07.07. 2001 के अनुसार काबिज होना बताते हुए यह कथन किया कि वक्त जैर निगरानी आज्ञा, प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 नाबालिग थे तथा बडा पुत्र होने के कारण सुगालचन्द जैन के साथ पट्टे में ढगलचन्द का नाम भी दर्ज किया गया है। इससे यह प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पुश्तैनी भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, जबकि उक्त भूमि में प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है। इसके अतिरिक्त सरपंच द्वारा बिना कोरम में प्रस्ताव पारित किए, जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया है, जो समर्थन योग्य नहीं है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, गुडा बींजा द्वारा मिसल संख्या 04/1961–1962 संकल्प संख्या ... दिनांक 06.01.1962 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 46–47 दिनांक 06.01.1962 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत गुडा बींजा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए विधिवत जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29.1.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली